न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 29/2019

1. भगवान सिंह
2. सुन्दर सिंह
3. बिजेन्द्र सिंह पिसरान छुट्टन जाति लोधा निवासी पहाडी तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. शिवलहरी उर्फ शिवहरी पुत्र बीधू जाति गुर्जर निवासी पहाडी (मृतक)
   1/1 प्रेम पत्नी शिवलहरी उर्फ शिवहरी
   1/2 राजू
   1/3 देवो
   1/4 छोटू पिसरान शिवलहरी उर्फ शिवहरी
   1/5 गंजू
   1/6 नीलम पुत्रीयान शिवलहरी उर्फ शिवहरी जाति गुर्जर निवासी पहाडी हाल निवासी पहाडताल डीग तहसील डीग (भरतपुर) राज0।
2. टेलीकॉम जिला प्रबन्धक महोदय, भारत संचार निगम लिमिटेड भरतपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बन्देुला वकील वादीगण
श्री सतीश शर्मा वकील प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/6
श्री राजवीर सिंह दायमा वकील प्रतिवादीगण सं0 1/1 लगायत 1/6

दिनांक :– 14/09/2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 3289/3067/0.45 हैक्टर बांके ग्राम पहाडी द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है वादीगण आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है जिस पर वादीगण का शान्तीपूर्ण कब्जा व काश्त हैं। वादीगण की उक्त आराजी मुतदाविया के पश्चिमी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी मुतदाविया भी है। उसी का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के सीधेपन व कमजोर होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 2 से मिलकर वादीगण के खातेदारी के खेत बी0एस0एन0एल0 का टावर लगवा दिया और प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि यह सरकारी टावर है जिससे हमारी आराजी की कीमत बढेगी और इससे सभी को लाभ होगा। वादीगण को प्रतिवादी की चालाकी के बारे में दूसरे लोगो ने बताया कि उक्त टावर जो आपकी आराजी में लगा हुआ है उसका प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 से किराया माहवार लेता है। जिसकी बाबत वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहन सुनन भी की कि हमारी आराजी से इस टावर को हटवाया फिर उसका किराया हमें दिलवा दे। क्योकि आराजी तो हमारी खातेदारी की भूमि है। जिस पर वह टालम टोल करता रहा लेकिन वादीगण के ज्यादा कहने पर प्रतिवादी गांली गलौच पर उतारू हो गया वादीगण द्वारा अपने खातेदारी के उक्त रकबा की पैमाईश दिनांक 01/09/2016 को कराई जाकर स्पष्ट जानकारी मिली । वक्त वादीगण को राजस्व कर्मचारियों द्वारा निशानात

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ायग कर कब्जा दे दिया गया। लेकिन वादीगण के खातेदारी के रकबे में बी0एस0एन0एल0 टावर आज भी लगा हुआ है। जो अभी तक नहीं हटा है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 का अब ोई किसी प्रकार का लेना देना शेष नही रहा है तथा वादीगण की आराजी को अपने कब्जे में खने का कोई वैंधानिक अधिकार नहीं है। वादीगण उक्त कब्जेशुदा आराजी को खाली कराकर ब्जा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को लीगल नोटिस भी भिजवा दिये गये । लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करने के बाबजूद प्रतिवादीगण के द्वारा ऐलानिया मकी दिनांक 22/02/2019 को दी है। हम तुम्हे ना उक्त आराजी के रकबा 5.10 मीटर गुणा 5.40 मीटर ऐरिया को खाली नहीं करेगे तथा ना ही उक्त टावर का किराया तुम्हे देगे और मौका मेलने पर तुम्हारी उक्त आराजी को अपने नाम ही कराकर ही दम लेगे तथा उसका कब्जा नहीं छोडेगे यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से कदापि सम्भव नही हो सकेगी। विनाय मुखास्मत दिनांक 22/02/2019 को आराजी का कब्जा वापसी प्रतिवादीगण द्वारा ना देने के कारण व ऐलानिया धमकी देने पर ग्राम पहाडी द्वितीय तहसील पहाडी अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। दावा अन्दर म्याद है और अदालत हाजा को मुकदमा सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार हासिल है। अतः आराजी खसरा नम्बर 3289/3067/0.45 हैक्टर बांके पहाडी द्वितीय के रकबा 5.10 मीटर गुणा 5.40 मीटर पर लगा रखे प्रतिवादीगण के टावर को हटवाकर तथा अवैध कब्जा से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर वादीगण अपनी आराजी मुतदाविया पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी मुतदाविया को अपने नाम ना करावे तथा शेष आराजी पर कब्जा नाजायज ना करे। वादीगण को बेदखल ना करें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि बी0एस0एन0एल0 टावर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि किराये पर देकर सन् 2006 में प्रतिवादी संख्या 2 से स्थापित कराया गया था सन् 2006 को आज 13 वर्ष हो गये है यदि टावर वादीगण की जमीन में होता तो वादीगण 13 वर्ष से कहां सोये हुये थे वो कही ना कही किसी प्रकार की कार्यवाही करते। अब वादीगण द्वारा बेईमानी पूर्ण आशय से उक्त दावा पेश किया है। जो कि म्याद बाहर है। काबिले खारिजी है। वादीगण बदमाश एवं झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन बी0एस0एन0एल0 टॉवर में से टावर के सामान को चोरी करते रहते है और जब प्रतिवादी कहन सुनन करता है तो उल्टे सीधे मुकदमें लगाने की धमकी देते है। प्रतिवादी संख्या 1 ज्यादातर अपने डीग निवास पर रहता है। जिसका वादीगण पूरा फायदा उठाते है और पीछे से उसके मकान आदि में चोरी करते रहते है। बी0एस0एन0एल0 टावर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में लगा हुआ है। इस कारण न्यायालय श्रीमान को उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त आराजी भूमि वाणिज्यिक व आबादी उपयोग की भूमि है। जिसकी चारों तरफ से बाउण्डरी पुख्ता बनी हुई है। जिसका कनवर्जन कराने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नियत फीस 4200/—रूपया जमा की है और कनवर्जन पत्रावली प्रक्रियाधीन है। वादीगण जबरन प्रतिवादी की भूमि पर कब्जा नाजायज करने की फिराक में रहते है इसलिए उक्त भूमि के संबन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, कामां के न्यायालय में सिविल मुकदमा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ा हुआ है जो न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त तथ्यों को छिपाते हुये वादीगण द्वारा उक्त
न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है जो काबिले खारिजी हैं अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश
निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 2 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि विवादित जी0एस0एम0 टावर
स्वामितव व अधिपत्य भारत संचार लिमिटेड का है भारत संचार लिमिटेड निगमित निकाय है
रत संचार निगम लिमिटेड को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है इसलिए
ावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। भारत संचार निगम लिमिटेड का जी0एम0एम0 टावर
.10 मीटर वाई 5.40 मीटर लगा हुआ बताया गया है। यह हिस्सा काश्त में काम नहीं आ रहा है
इसलिए दावा दीवानी न्यायालय में सुनवाई योग्य है राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने
से काबिले खारिजी है। वादीगण की ओर से अपने अभिभाषक आजाद अहमद एडवोकेट किदवई
नगर जयपुर की ओर से भारत संचार लिमिटेड के जी0एस0एम0 टावर को अपनी जमीन में लगा
होने का कथन करते हुये जमीन का किराया स्वयं को अदा करने की मांग की गई थी। जिसका
जबाब भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से दे दिया गया था। जी0एस0एम0 टावर को हटाने
की मांग नहीं की गई थी। इसलिए वादीगण अपना अधिकार वेव कर चुके है। दावा मेन्टेबिल
नहीं है। वादीगण ने विवादित भूमि खण्ड जिसमें जी0एम0टावर लगा है। के सम्बन्ध में
घोषणात्मक रिलीफ नहीं चाही गई। घोषणात्मक रिलीफ चाहे बिना बेदखली कब्जा वापसी व
स्थायी निषेधाज्ञा का दावा मौजूदा सूरत मेनटेबिल नहीं है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है
कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1 :– आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 3289/3067/0.45 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय के खातेदार है।

................वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया वादीगण के उक्त खसरा नम्बर के रकबा 5.10 मीटर गुणा 5.40 मीटर आराजी पर लगा रखे प्रतिवादीगण के टावर को हटवाकर अवैध कब्जा से प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर वादीगण पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

................वादीगण

तनकी संख्या 3 :– आया न्यायालय को उक्त प्रकरण को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

................प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4 :– आया वादीगण का दावा म्याद बाहर है ।

................प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 5 :– आया बी0एस0एन0एल0 का टावर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में लगा हुआ है।

................प्रतिवादीगण

6 दादरसी

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादीगण में नियत की गई। साक्ष्य वादीगण में पी0डब्लू0 1 भगवान सिंह, पी0डब्लू0 2 सुन्दर सिंह, पी0डब्लू0 3 बिजेन्द्र सिंह पी0डब्लू0 4 चन्दभान, पी0डब्लू0 5 बिजेन्द्र के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर दिनांक 07/04/2021 को साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी0डब्लू0 1 राजेन्द्र सिंह, डी0डब्लू0 2 शैलेन्द्र, डी0डब्लू0 3 मंजूदेवी , डी0डब्लू0 4 प्रेमलता , डी0डब्लू0 5

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

, पी0डब्लू0 6 नीलम पटेल, डी0डब्लू0 7 महेन्द्र सिंह, डी0डब्लू08 पूरन के शपथ पत्र पेश अन्य कोई साक्ष्य पेश न होने पर दिनांक 05/05/2022 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये
।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वत 2060–63, नकल मौका रिपोर्ट खसरा नम्बर 1279/0.15 हैक्टर बांके ग्राम पहाडी द्वितीय नांक 01/09/2016 पेश किये। सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र जरिये पटवारी सूचना पत्र प्रेषित वादीगण। प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नोटिस जबाब दिनांक /01/2020 शपथ पत्र पूर्व में दिये गये नोटिस का जबाब पेश की।

प्रकरण में तहसीलदार पहाड़ी से मौका रिपोर्ट भी प्राप्त की गयी। तहसीलदार पहाड़ी दिनांक 24.08.2022 की मौका रिपोर्ट में अवगत कराया है कि साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 के आसपास आबादी क्षेत्र होने के कारण सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं हो सका है। साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 हाल खसरा संख्या 3786/0.45 जुरहरा रोड़ से लगता हुआ है। जिसके वादीगण खातेदार हैं। जो कि पहाड़ी जुरहरा रोड़ के दांयी तरफ है। सड़क के बांयी ओर जहां पर टावर स्थित है, वह हाल खसरा संख्या 3573/0.58 अथवा 3572/0.16 में स्थित है। जिसके प्रतिवादी एवं अन्य काश्तकार खातेदार हैं। सीमाज्ञान के अभाव में यह बताना संभव नहीं हो पा रहा है कि टावर किस खसरा नंबर में लगा हुआ है।

बहस वकील फरीकेन की बहस सुनी । दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 3289/3067/0.45 हैक्टर बांके ग्राम पहाडी द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है वादीगण आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है जिस पर वादीगण का शान्तीपूर्ण कब्जा व काश्त हैं। वादीगण द्वारा अपने खातेदारी के उक्त रकबा की पैमाईश दिनांक 01/09/2016 को कराई जाकर स्पष्ट जानकारी मिली । वक्त वादीगण को राजस्व कर्मचारियों द्वारा निशानात कायम कर कब्जा दे दिया गया। लेकिन वादीगण के खातेदारी के रकबे में बी0एस0एन0एल0 का टावर आज भी लगा हुआ है। जो अभी तक नहीं हटा है। अतः आराजी खसरा नम्बर 3289/3067/0.45 हैक्टर बांके पहाडी द्वितीय के रकबा 5.10 मीटर गुणा 5.40 मीटर पर लगा रखे प्रतिवादीगण के टावर को हटवाकर तथा अवैध कब्जा से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जाए।

दौराने बहस वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने कथन किया है कि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 24.08.2022 साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 के आसपास आबादी क्षेत्र होने के कारण सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं हो सका है। साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 हाल खसरा संख्या 3786/0.45 जुरहरा रोड़ से लगता हुआ है। जिसके वादीगण खातेदार हैं। जो कि पहाड़ी जुरहरा रोड़ के दांयी तरफ है। सड़क के बांयी ओर जहां पर टावर स्थित है, वह हाल खसरा संख्या 3573/0.58 अथवा 3572/0.16 में स्थित है। जिसके प्रतिवादी एवं अन्य काश्तकार खातेदार हैं। सीमाज्ञान के अभाव में यह बताना संभव नहीं हो पा रहा है कि टावर किस खसरा नंबर में लगा हुआ है। वादीगण का साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 हाल खसरा संख्या 3786/0.45 सड़क के दूसरी ओर है। जो कि टावर से काफी दूर है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट टावर हाल खसरा संख्या 3573/0.58 अथवा 3572/0.16 में स्थित है। इन दोनों खसरों में ही वादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। उक्त टावर का पंजीयन दिनांक 19.04.2006 को किया गया है। जबकि वादीगण द्वारा दावा 11.03.2019 को दायर किया गया है। वादीगण का दावा मियाद बाहर है। वादीगण द्वारा दिनांक 01.09.2016 की

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

स मौका रिपोर्ट का उल्लेख किया है उसमें भी साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 का नक्शा 0.45 है0 की बजाय 0.58 है0 का बना माना गया है। जिसमें स्पष्टता से उल्लेख किया गया है कि रिकोर्ड के मुताबिक नक्शा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपने जवाब में कथन किया है कि विवादित जी0एस0एम0 टावर का स्वामितव व अधिपत्य भारत संचार लिमिटेड का है भारत संचार लिमिटेड निगमित निकाय है भारत संचार निगम लिमिटेड को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है इसलिए दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। अतः दावा वादीगण खारिज करवाया जावे।

हमनें बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 3289/3067/0.45 बांके ग्राम पहाडी द्वितीय के खातेदार है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 हाल खसरा संख्या 3786/0.45 वादीगण की आराजी है। इस तथ्य पर वादीगण एवं प्रतिवादी दोनों सहमत हैं। अतः यह तनकी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया वादीगण के उक्त खसरा नम्बर के रकबा 5.10 मीटर गुणा 5.40 मीटर आराजी पर लगा रखे प्रतिवादीगण के टावर को हटवाकर अवैध कब्जा से प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर वादीगण पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। आराजी खसरा नम्बर 3289/3067/0.45 हाल खसरा संख्या 3786/0.45 हैक्टर बांके ग्राम पहाडी द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है वादीगण आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। वादीगण का कथन है कि इस भूमि पर प्रतिवादीगण ने टावर लगाकर अवैध कब्जा किया हुआ है। परंतु वादीगण ने इस तथ्य को सावित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। वादीगण द्वारा दिनांक 01.09.2016 की जिस मौका रिपोर्ट का उल्लेख किया है उसमें भी साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 का नक्शा 0.45 है0 की बजाय 0.58 है0 का बना माना गया है। जिसमें स्पष्टता से उल्लेख किया गया है कि रिकोर्ड के मुताबिक नक्शा नहीं है। इससे वादीगण का कथन सिद्ध नहीं होता है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 24.08.2022 साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 के आसपास आबादी क्षेत्र होने के कारण सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं हो सका है। साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 हाल खसरा संख्या 3786/0.45 जुरहरा रोड़ से लगता हुआ है। जिसके वादीगण खातेदार हैं। जो कि पहाड़ी जुरहरा रोड़ के दांयी तरफ है। सड़क के बांयी ओर जहां पर टावर स्थित है, वह हाल खसरा संख्या 3573/0.58 अथवा 3572/0.16 में स्थित है। जिसके प्रतिवादी एवं अन्य काश्तकार खातेदार हैं। सीमाज्ञान के अभाव में यह बताना संभव नहीं हो पा रहा है कि टावर किस खसरा नंबर में लगा हुआ है। वादीगण का साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 हाल खसरा संख्या 3786/0.45 सड़क के दूसरी ओर है। जो कि टावर से काफी दूर है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट टावर हाल खसरा संख्या 3573/0.58 अथवा 3572/0.16 में स्थित है। इन दोनों खसरों में ही वादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। वर्तमान तहसीलदार रिपोर्ट से यह स्पष्टता से प्रमाणित तो नहीं होता है कि टावर 3573 में लगा है अथवा 3572 में लगा है। परंतु यह पूर्णतः स्पष्ट है कि साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 हाल खसरा संख्या 3786/0.45 में नहीं लगा हुआ है। जो कि

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ीगण का रकबा है। अतः वादीगण इस तथ्य को साबित नहीं कर पाए हैं कि प्रतिवादीगण ने दीगण की भूमि पर कोई कब्जा किया हुआ है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण के टावर को टवाकर अवैध कब्जा से प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर वादीगण पुनः कब्जा प्राप्त करने के धिकारी नहीं है। अतः यह तनकी विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

नकी संख्या 3 :– आया न्यायालय को उक्त प्रकरण को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में है जिसका अभी तक कोई भूरूपान्तरण नहीं किया गया है। अतः न्यायालय को उक्त प्रकरण को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया वादीगण का दावा मियाद बाहर है ।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त टावर का पंजीयन दिनांक 19.04.2006 को किया गया है। जबकि वादीगण द्वारा दावा 11.03.2019 को दायर किया गया है। अतः वादीगण का दावा मियाद बाहर है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया बी0एस0एन0एल0 का टावर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में लगा हुआ है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 24.08.2022 साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 के आसपास आबादी क्षेत्र होने के कारण सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं हो सका है। साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 हाल खसरा संख्या 3786/0.45 जुरहरा रोड़ से लगता हुआ है। जिसके वादीगण खातेदार हैं। जो कि पहाड़ी जुरहरा रोड़ के दांयी तरफ है। सड़क के बांयी ओर जहां पर टावर स्थित है, वह हाल खसरा संख्या 3573/0.58 अथवा 3572/0.16 में स्थित है। जिसके प्रतिवादी एवं अन्य काश्तकार खातेदार हैं। सीमाज्ञान के अभाव में यह बताना संभव नहीं हो पा रहा है कि टावर किस खसरा नंबर में लगा हुआ है। वादीगण का साविक अराजी खसरा संख्या 3289/3067 हाल खसरा संख्या 3786/0.45 सड़क के दूसरी ओर है। जो कि टावर से काफी दूर है। इससे यह पूर्णतः प्रमाणित है कि टावर वादीगण की आराजी में स्थित नहीं है। परंतु टावर प्रतिवादीगण की आराजी में है या अन्य काश्तकार की आराजी में है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः प्रतिवादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

6 दादरसी :– उक्त दावे में तनकी संख्या 2 को वादी को सिद्ध करना आवश्यक था परंतु वह इसमें असफल रहा है। अतः दावा वादी खारिज योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण सिद्ध ना होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

ा नं0 29/2019
गवान सिंह
सुन्दर सिंह
बिजेन्द्र सिंह पिसरान छुट्टन जाति लोधा निवासी कस्बा पहाडी तहसील पहाडी (भरतपुर)राज0

वादीगण

बनाम

1. षिवलहरी उर्फ षिवहरी पुत्री बीधू जाति गुर्जर निवासी पहाडी (मृत्तक)
   1/1 प्रेम पत्नी षिवलहरी उर्फ षिवहरी
   1/2 राजू
   1/3 देवो
   1/4 छोटू पिसरान षिवलहरी उर्फ षिवहरी
   1/5 मंजू
   1/6 नीलम पुत्रीयान षिवलहरी उर्फ षिवहरी जाति गुर्जर निवासी पहाडी हाल निवासी पहाडताल डीग तहसील डीग (भरतपुर) राज0
2. टेलीकॉम जिला प्रबन्धक महोदय, भारत संचार निगम लिमिटेड भरतपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेष होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **दावा वादीगण सिद्ध ना होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।**

आज .... मुबलिग ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/09 सन् 2022 को जारी की गई ।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा पहाडी (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner